न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला–डूंगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल

निर्णय दिनांकः–14.05.2024

प्रकरण सख्याः– 1/21

1 श्री वागा पिता कालु जाति डामोर निवासी मेरूवा तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री मणिया पिता कालु जाति डामोर निवासी मेरूवा तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री रायसन पिता कालु जाति डामोर निवासी मेरूवा तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री पना पिता कालु जाति डामोर निवासी मेरूवा तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 श्री भुरा पिता कालु जाति डामोर निवासी मेरूवा तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री गटू पिता कालु जाति डामोर निवासी भचडिया तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2. श्री भगा पिता कालु जाति डामोर निवासी भचडिया तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3. श्री हीरा पिता कालु जाति डामोर निवासी भचडिया तहसील सीमलवाडा पीएस धम्बोला जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4. श्री मान तहसीलदार एवं भुमिधारी अधिकारी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

रेस्पोडेण्टगण

<u>अपील बनाराजगी मौजा भचडिया में नामान्तरण संख्या 315 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने</u>

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भु–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– श्री बालगोविन्द पाटीदार अपीलान्ट की ओर से
श्री कालुराम डामोर रेस्पोडेण्टगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि अपीलान्ट द्वारा एक अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट गांव मेरूवा व रेस्पोडैण्टगण गांव भचडिया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान का स्थायी निवासी है। अपीलान्ट मेहनत मजदुरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। अपीलान्ट के कब्जे काश्त की पैतृक आराजी मौजा भचडिया में खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भुमि है जो पैतृक भुमि होकर अपीलान्ट के पिता कालु पिता कनका निवासी मेरूवा के हक हिस्से मे दर्ज रिकॉर्ड थी। अपीलाण्टगण कालु पिता कनका निवासी मेरुवा के विधिक

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वारीसान है जो अपील प्रस्तुत करने के बीस दिन पुर्व रेस्पोडेण्टगण ने अपीलान्ट के कब्जे काश्त की आराजी मौजा भचडिया कें खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि पर आकर जमीन हमारी है यह कहकर विवाद किया तो अपीलान्टगण ने अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित भुमि पर लोन लेने हेतु जमाबंदी की नकल निकलवाई तो जानकारी हुई कि अपीलान्टगण की कब्जेशुदा विरासती आराजी मौजा भचडिया में खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्टगण के नाम दर्ज है जिस पर अपीलान्टगण ने अपने खाते की पुरानी नकले निकलवायी तो पता चला कि राजस्व कर्मचारीयो ने लापरवाही पुर्वक रेस्पोडेन्टगण के पिता की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण सख्या 315 मे अपीलान्टगण के पिता जिवित होते हुए भी अपीलान्टगण के पिता के कब्जे काश्त की विरासती आराजी मौजा भचडिया कें खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को भी रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी तथा ग्राम पंचायत भचडीया ने बिना जांच किये उक्त नामान्तरण सख्या 315 को तस्दिक कर दिया जबकि अपीलान्टगण कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा के विधिक वारिसान है व रेस्पोडेन्टगण कालु पिता कनका डामोर निवासी भचडीया के वारीसान है ऐसे मे कालु पिता कनका डामोर निवासी भचडीया की म्रत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण मे कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरुवा की भूमि को अंकन करने का कोई अधिकार नही था तथा नामान्तण सख्या 315 खोलने के समय कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरुवा जिवित थे जिससे अपीलान्टगण ने राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर अपीलान्टगण की विरासती आराजी मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को नियमानुसार अपीलान्टगण के नाम दर्ज करने के लिये कहा लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलान्टगण के नाम दर्ज करने से मना कर दिया जबकि उक्त भुमि पर अपीलान्टगण का जन्म से अधिकार निहित है ऐसे नामान्तरण खेलने की जानकारी होने की म्याद अवधि मे अपील श्रीमान आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है । ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी दस्तावेज के कालु पिता कनका निवासी भचडिया की म्रत्यु के पश्चात ग्राम भचडीया मे खोल गये नामान्तरण सख्या 315 मे कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा जिवित होते हुए भी जांच परख किए बिना ही कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा के नाम दर्ज मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को भी कालु पिता कनका निवासी भचडिया के वारिसानों के नाम दर्ज कर प्रमाणित किया गया। ऐसे में उक्त नामान्तरण सख्या 315 को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को अपीलान्टगण के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्टपोडेण्गण को जरीए नोटिस तलब किया गया। न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कई अवसर देने के बावजुद जवाब नही दिए जाने पर जवाब बन्द किया गया। दिनांक 13.05.2024 को अपीलाण्ट की ओर आर्डर 6 रुल 17 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील मे टाईपींग गलती से नामान्तरण सख्या 315 की जगह 1315 हो जाने से सुधार कर 1315 की जगह अपील मे 315 करने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर अपील मे जिस जगह 1315

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

अंकीत किया गया उसकी जगह 315 अकीत कर अपील मे सशोधन किया गया। पत्रावली वास्ते बहस रखी गई। पत्रावली मे अपीलाण्ट की ओर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये ।

1 नामान्तरण सख्या 315 की प्रमाणित प्रतिलिपि
2 हाल जमाबन्दी
3 जमाबन्दी संवत 2019 की नकल

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील अपीलान्ट ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दोहराते हुए तर्क दिया की अपीलान्ट की पैतृक खातेदारी कब्जे काश्त की भुमि मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भुमि है। जो अपीलान्ट की पैतृक भुमि होकर पिता कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसे राजस्व कर्मचारीयो ने लापरवाही पुर्वक रेस्पोडेन्टगण के पिता की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण सख्या 315 मे अपीलान्टगण के पिता जिवित होते हुए भी अपीलान्टगण के पिता के कब्जे काश्त की विरासती आराजी मौजा भचडिया कें खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को भी रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी तथा ग्राम पंचायत भचडीया ने बिना जांच किये उक्त नामान्तरण सख्या 315 को तस्दिक कर दिया जबकि अपीलान्टगण कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा के विधिक वारिसान है व रेस्पोडेन्टगण कालु पिता कनका डामोर निवासी भचडीया के वारीसान है ऐसे मे कालु पिता कनका डामोर निवासी भचडीया की म्रत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरण मे कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरुवा की भूमि को अंकन करने का कोई अधिकार नही था तथा नामान्तण सख्या 315 खोलने के समय कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरुवा जिवित थे जबकि उक्त भुमि पर अपीलान्टगण का जन्म से अधिकार निहित है । ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी दस्तावेज के कालु पिता कनका निवासी भचडिया की म्रत्यु के पश्चात ग्राम भचडीया मे खोल गये नामान्तरण सख्या 315 मे कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा जिवित होते हुए भी जांच परख किए बिना ही कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा के नाम दर्ज मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को भी कालु पिता कनका निवासी भचडिया के वारिसानों के नाम दर्ज कर प्रमाणित किया गया। ऐसे में उक्त नामान्तरण सख्या 315 को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि को वर्तमान में अपीलान्ट के पिता का देहान्त हो चुका है जिससे अपीलान्टगण के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है।

उभयपक्ष के वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज संवत 2019 की जमाबन्दी जिसमे मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769 खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि कालु पिता कनका डामोर निवासी मेरूवा के नाम भूमि होकर स्थित थी जो पैतृक भूमि है। अतः न्यायहित में वारिसान की विधिवत् जांच कर नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना उचित है।

आदेश

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर मौजा भचडिया के नामान्तरण 315 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सीमलवाड़ा को रिमांड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भचडिया के खसरा नम्बर 768, 769

[signature] अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

खेत किता 2 कुल रकबा 0.0729 हैक्टेयर भूमि के खातेदार कालू पिता कनका डामोर के वारिसान की विधिवत् जांच एवं सुनवाई कर पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner